वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्याः–1450/XVII-1/2012-10(05)2012

(273)

प्रति,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

तथा में,

वित्त अधिकारी,
सचिवालय प्रशासन,
उत्तराखण्ड शासन।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून दिनांक **20** जुलाई, 2012

विषयः **एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक के अनुसार **₹ 39,88,000/–(₹ उनचालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)** धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की शासन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–321/XVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–30 तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
7. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

9. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

13. प्रश्नगत मदें यथा फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय विद्युत प्रभार, स्टेशनरी / कम्प्यूटर स्टेशनरी, पैट्रोल / डीजल आदि में मितव्ययिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. यह आवंटन अनुदान संख्या–30 के आवंटन पत्र संख्या–1450 / XVII-I / 2012–10(05)2012 दिनांक 20.07.2012 अलोटमेंट आई. डी. संख्या–HI207301638 दिनांक 17 जुलाई, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय

(सुबर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः –1450 / XVII-1 / 2012–10(05)2012

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय कृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एस.एस. वल्दिया)
उप सचिव।

D/Su/Dhanpal 2012-13

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Social Welfare (Grants) (9008)

आवंटन पत्र संख्या - 1450/XVII-1/2012-10(05)2012 अलोटमेंट आई डी - H1207301638

अनुदान संख्या - 030 आवंटन पत्र दिनांक - 17-Jul-2012

DDO Name - Finance Officer IRLADehradun (4651) , Treasury - Cpao (1200)

1. लेखा शीर्षक - 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन 07 - एस.सी पी./ टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ
00 - एस.सी पी./ टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	800000	1600000	2400000
03 - महंगाई भत्ता	544000	1088000	1632000
04 - यात्रा व्यय	8000	17000	25000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000	0	1000
06 - अन्य भत्ते	144000	288000	432000
07 - मानदेय	7000	13000	20000
08 - कार्यालय व्यय	33000	67000	100000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	40000	60000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17000	33000	50000
13 - टेलीफोन पर व्यय	10000	20000	30000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	67000	133000	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	133000	267000	400000
18 - प्रकाशन	10000	20000	30000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विक्रय	7000	13000	20000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक प्रस्ता आ	20000	40000	60000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	17000	33000	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	100000	150000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	1000	0	1000
42 - अन्य व्यय	17000	33000	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अल्पकाल यात्रा व्यय	17000	33000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर	33000	67000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/सम्बन्धी	42000	83000	125000
	1999000	**3988000**	**5987000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3988000